11.2.21 :— पत्रावली वकील रेस्पो. के प्रा. पत्र पर ~~और~~ पेशी पर ली। प्रा. पत्र में निवेदन किया गया है कि तहत अदालत में पक्षकारों में आपस में राजीनामा हो जाने के कारण वादी रेस्पो. ने अपना वाद दि० 19.10.2020 को गैर प्रेस में खारिज करा लिया है। इसलिये धारा 212 R.T. एक्ट की मद्द अपील ~~अब~~ प्रभावहीन होने के कारण खारिज की जावे।

हमने प्रा. पत्र पर गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रा. पत्र के साथ आदेश दि. 19.10.20 (तहत न्यायालय का आदेश) तथा राजस्व वाद पत्र सं. 169/15 उनवान रामकरण बनाम रामेश्वर की प्रमाणित प्रति पेश की है। आदेश दि. 19.10.20 के अवलोकन से सिद्ध है कि उक्त राजस्व वाद वादी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधि॰ अलवर [राज॰]

हुक्म या कार्यवाही

तारीख हुक्म	
	असल रेस्पो. रामकरण ने नोट प्रेस मे खारिज करा लिया है। प्रस्तुत अपील तहत अदालत द्वारा धारा 212 R.T. एक्ट के प्रा-पत्र मे पारित निर्णय के खिलाफ है। चूंकि जब मूल वाद का ही निस्तारण हो चुका है तो ऐसी स्थिति मे अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा-पत्र मे पारित किये गये आदेश के खिलाफ पेश की गई यह अपील इन्फैक्चस हो चुकी है। अतः यह अपील इन्फैक्चस (प्रभावहीन) होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर